छठा-अध्याय

खनिज नियमों और विनियमों का क्रियान्वयन

6.1 कोषालय अभिलेखों में चालानों का न पाया जाना

उ.सं.ख.प्र., रायपुर के खनिज पट्टा प्रकरण की नस्तियों और कोषालय प्राप्तियों की नमूना जांच में, हमने पाया(मई 2011) कि दो प्रकरणों में, ₹ 76,500 की रायल्टी दो चालानों के द्वारा मई 2009 और मार्च 2011 में शासन के खाते में जमा की गई थी।

किन्तु, इन चालानों का प्रतिसत्यापन कोषालय अभिलेखों से करने पर हमें उपरोक्त चालान राशियां समेकित कोषालय प्राप्ति विवरणी में नहीं पाई गई। विभाग भी इन खोए चालानों को ढूंढ पाने में असफल रहा और उ.सं.ख.प्र. द्वारा इस विसंगति का समाशोधन किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि एक चालान राशि ₹ 31,500 को कोषालय में ढूंढ लिया गया है दूसरे पट्टाधारी, अनिता जैन, के प्रकरण का परीक्षण जिलाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। पहले चालान का लेखापरीक्षा द्वारा आगे परीक्षण किए जाने पर यह उजागर हुआ कि चालान की राशि यद्यपि समान थी, किन्तु पट्टाधारी का नाम भिन्न था। दूसरे पट्टाधारी के प्रकरण में आगामी प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ(अगस्त 2012)।

6.2 खनिज के अस्थायी भण्डारण के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त न करना

छत्तीसगढ खनिज(खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के नियम 6 के अनुसार, पट्टेधारी पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग के लिए प्रारूप 7 में एक अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होता है। प्रथम 250 मी.ट. के लिए भण्डारण शुल्क ₹ 20,000 और उसके पश्चात् प्रत्येक 100 मी.ट. या उसके भाग के लिए देय शुल्क की दर ₹ 2,000 है।

जि.ख.अ., दन्तेवाडा, के खनिज पट्टा प्रकरण नस्तियों और मासिक विवरणियों की जांच में हमने पाया कि एक पट्टाधारी, एन.एम.डी.सी.लि. ने पट्टा क्षेत्र के बाहर स्थित रेलहेड बचेली और किरन्दुल से लौह अयस्क का प्रेषण किया। रेलहेड पर पट्टाधारी निम्न श्रेणी लौह अयस्क को उच्च श्रेणी लौह अयस्क के साथ मिलाता है । अगस्त 2009 से मार्च 2011 के मध्य पट्टेधारी ने बचेली निक्षेप क्र. '5','10','11ए' से रेलहेड पर 11.85[1]लाख मी.ट. लौह अयस्क का अस्थायी भण्डारण किया। इसी प्रकार

[1] बचेली (निक्षेप संख्या 5,10, एवं 11ए)- 11,85,387 मी.ट.-250मी.ट. =11,85,137मी.ट./100=11,852x ₹ 2000= ₹ 2,37,04,000 + ₹ 20,000= ₹ 2,37,24,000

किरन्दुल निक्षेप क्रं '14','11सी' से रेलहेड पर 61.56[2] लाख, मी.ट. लौह अयस्क का भण्डारण किया गया। चूंकि खनिजों का पट्टा क्षेत्र के बाहर भण्डारण किया गया, अतः पट्टेधारी को जिलाध्यक्ष(खनिज) दन्तेवाडा से भण्डारण अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। किन्तु न तो पट्टेधारी द्वारा अनुज्ञापत्र प्राप्त किया गया और न ही जि.ख.अ. द्वारा खनिजों का भण्डारण पट्टा क्षेत्र से बाहर करने पर पट्टाधारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई। इसके फलस्वरूप भण्डारण शुल्क की राशि ₹ 14.69 करोड का आरोपण नहीं हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि बचेली और किरन्दुल से प्रेषित खनिज, पट्टा क्षेत्र से लगे डंपिंग यार्ड/रेल्वे साइडिंग में अस्थाई भण्डारण किया जाता है। अतः, खनिजों के अस्थाई भण्डारण के लिए अनुमति मांगने के लिए कहना व्यवहारिक नहीं है। हम सहमत नहीं हैं जैसा कि विभाग के मई 2012 के उत्तर में कहा गया था कि पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों को मिलाता है। अतः पट्टाधारी ने न केवल पट्टा क्षेत्र के बाहर लौह अयस्क का अस्थाई भण्डारण किया बल्कि रेलहेड पर लौह अयस्क को भी मिलाया था। अतः उक्त नियमों के अनुसार अनुमति लेना आवश्यक था।

6.3 पर्यावरणीय सम्मति के बिना खनन संक्रियाए

वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) और जल(प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल (छ.प.सं.म.) की पूर्व सम्मति के नहीं करेगा। राज्य शासन द्वारा सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित (जुलाई 2004) किया गया था कि जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सभी पत्थर क्रशरों को छ.प.सं.म. से पर्यावरणीय सम्मति लेना आवश्यक है।

दो उ.सं.ख.प्र.[3] के प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच तथा अन्य तीन जि.ख.अ.[4] से प्राप्त जानकारी से हमने देखा कि 434 में से 289 पत्थर क्रशर पट्टाधारियों द्वारा छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति लिया जाना अभिलेखों में नहीं थी। तथापि इन पट्टाधारियों द्वारा खनन संक्रियाए जारी रखी गई और विभाग ने पट्टाधारियों द्वारा छ.प.सं.म. से आवश्यक प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। अन्य जि.ख.अ. में, न तो पर्यावरणीय सम्मति से संबंधित अभिलेख संधारित पाए गए और न ही जि.ख.अ.उन पट्टाधारियों की जानकारी देने में समर्थ हुए जिनके पास मण्डल से सम्मति है।

---

[2] किरन्दुल (14 एवं 11सी)- 61,56,254-250 मी.ट. =61,56,004मी.ट./100= 61561 x ₹ 2000= ₹ 12,31,22,000+ ₹ 20,000= ₹ 12,31,42,000

[3] कोरबा और रायपुर

[4] दन्तेवाडा, जांजगीर-चांपा और कोरिया

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने कहा कि सभी जिला खनिज कार्यालयों को यह निर्देश दिए जाएगें कि पर्यावरण मण्डल से सम्मति प्राप्त किए बिना नए पट्टे प्रदान न किए जाए। रायपुर जिले में समस्त पट्टाधारियों ने पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर ली है। कोरबा जिले में, मण्डल से पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त न करने के कारण 28 में से 6 पट्टाधारियों से कार्यानुमति वापस ले ली गई है।

यद्यपि शासन द्वारा जुलाई 2004 में छ.प.सं.म. से पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता संबंधी निर्देश जारी किए गए, विभाग द्वारा इन आदेशों का अनुपालन नही किया गया। आगे जिला या सं.भौ.ख./शासन स्तर पर कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक खदान पर्यावरणीय सम्मति के साथ या बिना कार्यरत है। रायपुर के प्रकरणों के संबंध मे, उ.सं.ख.प्र. रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सम्मतिधारियों की सूची, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों से मेल नहीं करती है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी पट्टाधारी द्वारा किसी औद्योगिक संयंत्र के संचालन हेतु पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर ली गई है को सुनिश्चित करने के लिए शासन एक निगरानी तंत्र की स्थापना पर विचार कर सकती है।

6.4 अनुशंसा

- ***विभाग उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा समयबद्व प्रतिवेदन/विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था पर विचार कर सकता है जिसमें उन प्रकरणों को इंगित किया जाए जिनमें पर्यावरणीय सम्मति की आवश्यकता हो और पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन संक्रियाएं होने को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का विकास करना चाहिए।***

(पूर्ण चंद्र माझी)

रायपुर **महालेखाकार(लेखापरीक्षा),छत्तीसगढ़**

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**

दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**